

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या 595 / 2013 / जोधपुर

2.अपील संख्या 596 / 2013 / जोधपुर

मैसर्स मरूधरा मोटर्स

जोधपुर

अपीलीर्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वृत्त-प्रतिकरापवंचन, जोधपुर

प्रत्यर्थी

3.अपील संख्या 1386 / 2013 / जोधपुर

4.अपील संख्या 1387 / 2013 / जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वृत्त-प्रतिकरापवंचन, जोधपुर

अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स मरूधरा मोटर्स

जोधपुर

प्रत्यर्थी

5.अपील संख्या 1385 / 2013 / जोधपुर

सहायक आयुक्त

वृत्त-प्रतिकरापवंचन, जोधपुर

अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स कृष्णा ऑटो सेल्स

जोधपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री वी.सी.सोगानी

अभिभाषक

श्री जमील जई

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक: 05.01.2015

व्यवहारी की ओर से

विभाग की ओर से

निर्णय

उपरोक्त पांचों अपीलों में से अपील संख्या 595 व 596 / 2013 / जोधपुर व्यवहारी की ओर से एवं अपील संख्या 1386 व 1387 / 2013 / जोधपुर व 1385 / 2013 / जोधपुर विभाग की ओर से उपायुक्त(अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 41, 42 एवं 36 / आरवैट / जेयूडी / 12-13 में पारित संयुक्तादेश दिनांक 30.01.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, जोधपुर एवं सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 26, 55 व 61 के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 व 2009-10 के पृथक-पृथक आदेश दिनांक 06.07.2012 को पारित करते हुए आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियाँ आरोपित की हैं, में से आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत



2-अपील संख्या 595 व 596 / 2013 एवं 1386,1387 व 1385 / 2013 / जोधपुर

रखते हुए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को यथावत रखकर अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की हैं। यथावत रखे गये कर एवं ब्याज के विरुद्ध व्यवहारी की ओर से अपील संख्या 595 व 596 / 2013 एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त करने के विरुद्ध विभाग की ओर से अपील संख्या 1386, 1387 व 1385 / 2013 प्रस्तुत की गई हैं।

चूँकि चारों अपीलों में समान बिन्दु निहित होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जाये।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म द्वारा मोटर वाहनों का व्यवसाय किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 के नियमित कर निर्धारण पारित करने के व्यवहारी के पश्चात फर्मों के सर्वेक्षण पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा अपने वाहनों के विक्रय के साथ वाहनों के विक्रय मूल्य के अलावा के "logistics charges" रूप में एक निश्चित राशि वसूल की जा रही है, परन्तु वाहन की बिक्री के बिलों में "logistics charges" रूप में वसूल की गयी राशि पर वैट वसूल नहीं किया गया है। उक्त तथ्य के आधार पर कर वंचना का अभियोग बनाकर अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करके "logistics charges" रूप में वसूल की गयी राशि पर कर रु. 11,500/-, रु.85,825/- एवं 3,61,061/- आरोपित किया गया एवं उक्त कर को अदेय मानकर अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु. 4485/-, रु. 26,606/- एवं रु.1,11,929/- आरोपित करते हुए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियों रु. 23,000/-, रु.1,71,650/- एवं रु. 7,22,122/- आरोपित की गई। उक्त प्रकार से आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों के विरुद्ध व्यवहारियों द्वारा विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए शास्तियों को अपास्त करके अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2013 पारित किया, जिससे क्षुब्ध होकर व्यवहारी एवं विभाग की ओर से उक्त अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

व्यवहारियों की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी परन्तु 6 माह तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसलिए 6 माह के बाद कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरणों में अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत नोटिस जारी करते हुए पुनः निर्धारण किये जाने को अविधिक बताते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।




व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक का कथन गया कि व्यवहारी द्वारा ग्राहकों से मोटर वाहन की बिक्री के समय "logistics charges" रूप में एक निश्चित राशि वसूल की जाती है, जो विक्रय मूल्य का भाग नहीं है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए आलोच्य वर्ष के कर निर्धारण आदेशों को अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पुनः खोलकर कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर कर एवं ब्याज को यथावत रखा है, जो अविधिक होने से अपास्तनीय है।

उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति सभी आरोपित की जा सकती है जबकि उसके द्वारा किये गये संव्यवहारों को लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं किये गये हों। उनका कथन है कि उनके द्वारा किये गये समस्त संव्यवहारों को लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि किया हुआ है इसलिए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति अनुचित एवं अविधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को इसी आधार पर अपास्त किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने एवं विभाग की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को इस आधार पर अविधिक बताना कि विवादित ऐसे समस्त संव्यवहार उसके द्वारा संधारित नियमित लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि किया हुआ है, उचित नहीं है। उनका कथन है कि व्यवहारी ने कर वंचना की नीयत से ऐसे संव्यवहारों को अपने त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र वैट-10 में प्रदर्शित नहीं किया गया, जो उसकी दोषी एवं करापवंचन की मानसिकता को प्रमाणित करते हैं, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति विधिक रूप से आरोपित की गई है, जिनको अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से अपास्त किया गया है। उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को यथावत रखते हुए इस बिन्दु पर विभाग द्वारा की गई अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उन्होंने कर एवं ब्याज को सम्बन्ध में कथन किया कि अधिनियम की धारा 2(36) में स्पष्ट प्रावधान है कि विक्रय के समय ली जाने वाली कोई भी राशि एवं वे सभी राशियाँ सम्मिलित हैं, जो माल की सुपुर्दगी के पूर्व या सुपुर्दगी के समय किसी भी तरह की सेवा जो उस माल के सम्बन्ध में दी गयी हो, सम्मिलित होगी साथ ही अधिनियम के अन्तर्गत कर के अलावा सभी **statutory levy** भी सम्मिलित होगी। उनका




कथन है कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार व्यवहारी द्वारा "logistics charges" रूप में ली गयी राशि विक्रय मूल्य का भाग का अंश है, इसलिए उक्त राशि पर कर देय होने से आरोपित कर एवं ब्याज उचित है। उनका कथन है कि इसी तथ्य के आधार पर विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया है, जो पूर्णतः विधिक होने से इस बिन्दु पर व्यवहारी द्वारा की गई अपीलें अस्वीकार योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार करने एवं विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, साथ ही बहस के दौरान बताये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर ससम्मान अध्ययन किया गया।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की फर्म का सर्वेक्षण करने पर ध्यान में आया कि व्यवहारी द्वारा ग्राहकों से माल की बिक्री के समय Logistic Charges के रूप में जो राशि वसूल की गयी है, जिसे विक्रय मूल्य का भाग नहीं बताकर उस पर कर जमा नहीं करवाया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करवंचना का अभियोग बनाकर अधिनियम की धारा 25, 55 के अन्तर्गत व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाए जाने पर कि व्यवहारी के कर निर्धारण आदेश पूर्व में पारित किए जा चुके हैं, इसलिए पारित कर निर्धारण को पुनः खोलने के लिए अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु पुनः नोटिस जारी किये गये हैं एवं Logistic Charges पर करारोपण छूट जाना मानते हुए पुनः कर निर्धारण किया गया है, जो विधि सम्मत है।

पत्रावली पर उपलब्ध इन्वायसेज की छायाप्रतियों में Logistic Charges के नाम पर राशि ग्राहकों से वसूली की जाती है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक के कथनानुसार यह राशि ग्राहकों को मोटर वाहन उपलब्ध करवाने तथा समय पर आपूर्ति के लिये वसूल की जाती है। निश्चित रूप से ये खर्च माल की डिलेवरी पूर्व के हैं तथा ग्राहक के behalf पर नहीं किये जाते हैं। इस बिन्दु के निस्तारण हेतु विक्रय मूल्य की परिभाषा को उद्धरित करना समीचीन होगा -

2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;



Explanation I. – In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III. – Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

व्यवहारी द्वारा वसूल Logistic Charges परिभाषा के प्रथम भाग अनुसार विक्रय पूर्व किये गये खर्चे होने के कारण ये विक्रय मूल्य का भाग है। वेट अधिनियम की उक्त धारा 2(36) के तृतीय स्पष्टीकरण में विक्रय बाद के भाड़े की कीमत व परिवहन से सम्बन्धित अन्य खर्चे जो क्रेता-विक्रेता के बीच संविदा की शर्तों अनुसार क्रेता के लिये (on behalf) किये गये हैं, विक्रय मूल्य का भाग नहीं होंगे, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में Logistic charges परिवहन से सम्बन्धित खर्च नहीं है, इसलिए अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक के तर्क को अमान्य कर Logistic Charges को विक्रय मूल्य में शामिल कर इस पर किया गया करारोपण विधिसम्मत होने के कारण उसकी पुष्टि की जाती है। ब्याज भी विधिसम्मत रूप से देय होने के कारण उसकी भी पुष्टि की जाती है।

अतः कर एवं ब्याज को यथावत रखे जाने के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध व्यवहारी प्रस्तुत की गई अपीलें उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है।

जहां तक वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का प्रश्न है, उचित प्रतीत नहीं होती। व्यवहारी द्वारा Logistic Charges को लेखा-पुस्तकों में इंड्राज किया हुआ है तथा ऐसे खर्चे विक्रय मूल्य में शामिल होना विवादित होने की स्थिति में करापवंचन की मंशा मेलाफाईड प्रमाणित नहीं होती है। अतः शास्तियों के बिन्दु पर विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार करते हुए शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है।

परिणामस्वरूप व्यवहारी एवं विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)

पट्टणम
राजस्थान कर बोर्ड
जोधपुर